तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
22-02-23	प्रमावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिसके तहत वादीगण ने उनके मध्य हुए राजीनामे के आधार पर वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्षों को सुना गया। प्रकरण के संबंध वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के आपसी राजीनामा होने का तथ्य न्यायालय के समक्ष आदि किया है। एवं वादीगण का वाद पत्र का राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त राजीनामे के अंकित होने के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष के आपसी राजीनामा किया होना जिसके अनुसार वादीगण ने विवादित आराजी सं. 4757, 4789, 4790 में वादीगण का कोई अधिकार नहीं होना बताया तो उक्त भूमि मनु देवी की होना बाबर देवास अंकित की होना अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया की विवादित आराजी सं. 4757, 4789, 4790 के प्रतिवादी सं. 1 मनु देवी आत्मज है। विवादित आ. नं. 4757, 4789, 4790 के वादीगण का कोई अधिकार नहीं है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आधार पत्रावली रही। उपरोक्तानुसार पत्र डिक्री कुर्रिब हो। पत्रावली पेश उभय होने तक के कर दी।

सेवामें,

1 Jahanzeb Khan
Advocate

भवदीय

Jahanzeb Khan

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner